31/8/2020 पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी द्वारा प्रा० पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा दिनांक 29.06.2006 को प्रस्तुत किया। प्रार्थी प्रार्थी द्वारा आदेशिका दिनांक 05-04-2018 से बहस प्रार्थना चला आ रहा है। बहस नहीं की जा रही है अतः हम पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड के आधार पर निर्णय करना उचित समझते है।

संक्षेप में प्रकरण इस प्रकार है कि प्रा० पत्र प्रार्थी अस्थाई निषेधाज्ञा इस आशय का पेश किया की अप्रार्थीगण आराजी ख० न० 3681 रकबा 4 बीघा 6 बिस्वा, ख० न० 3682 रकबा 3 बीघा 7 बिस्वा एवं ख० न० 3683 रकबा 8 बीघा 6 बिस्वा कुल किता 3 कुल रकबा 15 बीघा 19 बिस्वा वाके कस्बा व्यवसाय के 4 हिस्सों की भूमि बादशाहत के कब्जे काश्त प्रार्थीगण में कोई रुकावट पैदा न करें न करावे इस हेतु स्थायी रूप से पाबन्द रहे।

पत्रावली का अवलोकन किया गया तथा उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन कर मनन किया। अप्रार्थीगण आराजी विवादग्रस्त के दर्जशुदा रिकार्ड खातेदार है। प्रथम दृष्टया केस प्रार्थीगण के पक्ष में प्रमाणित नहीं पाया गया। यदि रिकार्ड खातेदार के विरुद्ध अस्थायी निषेधाज्ञा जारी की जाती है तो अप्रार्थीगण को अपूरणीय क्षति होने का भी इस अंदेशा है। सुविधा का संतुलन प्रार्थीगण के पक्ष में नहीं है। अतः उक्त तीनो बिन्दु प्रार्थीगण के पक्ष में समर्थन नहीं करते है। प्रार्थीगण अस्थाई निषेधाज्ञा अस्वीकार कर खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर रिकार्ड हो। खुले न्यायालय में सुनाया गया।